UPKU010042752019

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित–**मदन मोहन, एच०जे०एस०–UP02725**

सत्र परीक्षण संख्या–**315/2019**

सरकार बनाम बलराम मोंगिया व अन्य।

मु०अ०सं०–515/2018,
धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी
क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना–हाटा, जनपद–कुशीनगर।

04.08.2022

प्रार्थिनी कजुवाई पत्नी सिन्नाम माता अभियुक्त फिरोज की ओर से उपरोक्त मामले में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.08.2022 प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी का पुत्र फिरोज दिनांक 04.07.2019 से जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त फिरोज की जमानत मन्जूर हो चुकी है, लेकिन जमानतदार न मिलने के कारण जेल रिहा नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी के पुत्र फिरोज को व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ अण्डरटेकिंग लेकर रिहा किया जाना आवश्यक है, तद्नुसार बंधपत्र के साथ अण्डरटेकिंग पर अभियुक्त फिरोज को रिहा किये जाने की याचना की गयी।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली की परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त फिरोज व अन्य सह अभियुक्तगण बलराम मोंगिया, चोखू व रविन्द्र की जमानत माननीय अपर सत्र न्यायालय, कोर्ट नं० 4, कुशीनगर स्थान पडरौना के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1065/2019 में पारित आदेश दिनांकित 26.11.2019 के द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा अन्य सहअभियुक्तगण मुकेश सिंह, केन्हूर सिंह, किशनलाल व ओमप्रकाश की जमानत माननीय अपर सत्र न्यायालय, कोर्ट नं० 2, कुशीनगर स्थान पडरौना के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 811/2019 में पारित आदेश दिनांकित 14.06.2019 के द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अन्य सहअभियुक्तगण क्रमशः बलराम मोंगिया, चोखू, रविन्द्र, मुकेश सिंह, केन्हूर सिंह, किशनलाल व ओमप्रकाश जेल से रिहा हो चुके हैं, जबकि जमानतदार न मिलने के कारण अभियुक्त फिरोज जेल में निरूद्ध है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त फिरोज व अन्य सहअभियुक्तगण बलराम मोंगिया, मुकेश, केन्हूर, पप्पू पार्दी, किशुनलाल, ओमप्रकाश व रविन्द्र के विरूद्ध दिनांक 27.11.2019 को आरोप विरचित किया जा चुका है।

अतः दिनांक 26.11.2019 को जमानत मिलने एवं जमानतदार दाखिल न कर पाने के अभाव के दृष्गित, अभियुक्त फिरोज द्वारा मु०–1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र न्यायालय में दाखिल करने पर अभियुक्त का रिहाई परवाना इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जिला कारागार देवरिया प्रेषित किया जाय कि अभियुक्त एक माह के भीतर जमानतदार दाखिल करेगा तथा जमानत आदेश दिनांकित 26.11.2019 में उल्लिखित शर्तों का पालन करेगा।

(मदन मोहन)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by MADAN MOHAN
Date: 2022.08.04 16:40:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court